फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

हरिओम गुर्जर वनाम राज सरकार

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 136, नं. 134 सन् 2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/3/25	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 28/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा	
28/4/25	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 3/6/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
3/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित परिवादी-सरकार उप० परिवादी-सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहते है। जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस करने का निवेदन किया गया उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया परिवादी-सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण प्रार्थी के नाम खाते का होने से प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे यदि प्रार्थी स्वयं सिद्ध करने में असफल रहते है तो प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज किया	

हरी आम मजदूर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावे. उपरोक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रार्थी के नाम शुद्धी का होने से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व ग्राम पंचायत रिपोर्ट दि. 3-11-14 के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर हो जमा हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करौ	